

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-जनप्रति-12/15 (Part-I) - 1191 (मो)

/पटना, दिनांक- 15/6/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, मधेपुरा।

विषय:-मधेपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड-उदाकिशुनगंज में स्लूईस गेट बनवाने तथा बोल्टर पीचिंग करने के संबंध में।

प्रसंग:- माननीय विभागीय मंत्री महोदय का पत्रांक-583, दिनांक-10.06.20

महाशय,

माननीय विभागीय मंत्री द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड-उदाकिशुनगंज के अधीन हरैली धार ड्रेनेज की आर०डी० संख्या-2 गोपालपुर गांव के समीप ड्रेनेज के टूटे भाग में एक स्लूईस गेट बनाने तथा बोल्टर पीचिंग कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जांच कर ली जाय। यदि योजना तकनीकी दृष्टिकोण से सम्भाव्य हो तो DPR बनाकर मुख्य अभियन्ता के माध्यम से विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1191 (मो)

/पटना, दिनांक-15/6/2020

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, सहरसा एवं मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1191 (मो)

/पटना, दिनांक-15/6/2020

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

नरेन्द्र नारायण यादव

मंत्री

लघु जल संसाधन एवं
विधि विभाग, बिहार, पटना



टेलिफैक्स : 0612-2546405 (लघु)
: 0612-2211374 (विधि)
कार्यालय : 4था तल्ला, विश्वेश्वरैया भवन, पटना
आवास : आवास सं० -10, दारोगा राय पथ,
(हड़ताली मोड़ के निकट, पटना)

391

पत्रांक : 583

दिनांक : 10/06/2020

अपर मुख्य सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना

11 JUN 2020

जिला मधेपुरा अन्तर्गत प्रखंड उदाकिशुनगंज के अधीन ^{वाँर} हरैली ड्रेनेज की आर0डी0 संख्या-2 गोपालपुर गांव के समीप ड्रेनेज के टूटे हुए भाग में एक स्लूईस गेट बनाना तथा बोल्टर पीचींग करना किसानों के हित में परम आवश्यक है ताकि सैकड़ों हेक्टर में पानी बहकर ड्रेनेज में न चला जाय तथा ड्रेनेज का पानी खेत में बहकर फसल को बर्बाद न कर दे। ऐसा होने पर खेत में पानी का भी संचयन होगा तथा ड्रेनेज का भी पानी बाहर नहीं जायेगा।

कृपया जनहित में शीघ्र ऊपर लिखित स्थानों पर स्लूईस गेट बनवाने तथा बोल्टर पीचींग करने की कृपा की जाय।

नरेन्द्र ना. यादव
(नरेन्द्र नारायण यादव) 10.6.2020

2459/ACS
11/6/20

903
12/6/20
JE (कम)
25/5
12/6